भारतीय जनता पार्टी

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक

स्व0 जगन्नाथराव जोशी सभागार

(बेंगलूरू – कर्नाटक)

(12–13–14 सितम्बर – 2008)

राजनीतिक प्रस्ताव

वर्तमान यूपीए गठबंधन जिस तरीके से सरकार चला रहा है उससे राष्ट्र हितों पर संकट के बादल छाऐ हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप देश के चारों तरफ गंभीर संकट व्याप्त है।

भारत–अमरीका परमाणु समझौता

मनमोहन सिंह सरकार द्वारा भारत–अमरीकी परमाणु समझौते के पक्ष में पिछले तीन वर्षों में दिये गये सारे तर्कों का पर्दाफाश उस पत्र ने कर दिया है जो बुश प्रशासन ने समझौते की शर्तों के बारे में अमरीकी कांग्रेस की 'हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी' के चेयरमैन को लिखा था। भाजपा का यह मानना है कि वर्तमान स्वरूप में परमाणु समझौता भारत की सामरिक संप्रभुता और परमाणु परीक्षण के अधिकार को गहरे खतरे में डालता है, पूरी तरह सच साबित हुआ है। सच तो यह है कि समझौते की अच्छाइयों के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा संसद के समक्ष दिये गये अनेकों आश्वासन भारत के सामरिक हितों के संदर्भ में पूरी तरह मिथ्या और दिगभ्रमित साबित हुए हैं। 2 जुलाई, 2008 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी किया था कि ''1, 2, 3, करार हाइड एक्ट पर स्पष्ट रूप से प्रभावी है तथा यह स्थिति हर उस व्यक्ति को स्पष्ट हो जायेगी जो भी संबंधित अनुबंधों को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा। 22 जुलाई, 2008 को लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर उत्तर देते समय डा0 मनमोहन सिंह ने साफ तौर पर कहा था ''मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि इन करारों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम पर आगे परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगाता हो।''

दूसरी ओर, बुश प्रशासन ने कांग्रेस कमेटी को दिये गये अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रस्तावित 1,2,3, करार पूरी तरह हाइड एक्ट के अनुरूप है तथा भारत द्वारा किसी भी तरह के परमाणु विस्फोट किये जाने की स्थिति में अमरीका को तत्काल भारत के साथ सभी तरह के परमाणु सहयोग को समाप्त करने का अधिकार है, जिसमें ईंधन की सप्लाई रोकना तथा अमरीका से फ्रेश फ्यूअल सहित किसी भी तरह की हस्तांतरित सामग्री की वापसी का अनुरोध करना भी शामिल है। यह भी जाहिर है कि समझौते में अमरीका तथा अन्य देशों द्वारा की गई किसी भी तरह की बाध्यकारी प्रतिबद्धता का उल्लेख नहीं है जो ईंधन सप्लाई तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बारे में की गई थी और जिसके बारे में सरकार गत तीन वर्षों के दौरान झूठा प्रचार कर रही थी। मनमोहन सरकार ने देश की संसद और जनता से परमाणु करार की शर्तों को छुपाने का भरसक प्रयास किया, वहीं दूसरी तरफ बुश प्रशासन इन शर्तों के बारे में स्पष्ट था।

इस पूरे करार के और बुश प्रशासन के वक्तव्यों से यह स्पष्ट है कि यूपीए सरकार ने संसद और देश की जनता के साथ धोखा किया है। संसद को दिये गये सारे आश्वासन बेमानी हो गए हैं जिसमें फ्यूअल सपलाई, टैकनॉलोजी ट्रांसफर प्रमुख हैं।

भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप में दोहराना चाहेगी कि भारत के परमाणु परीक्षण के अधिकार पर किसी भी तरह की सौदेबाजी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि हमारा देश किसी तरह का परीक्षण करता है तो समझौते के तहत देश को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह स्पष्ट है कि वर्तमान यूपीए सरकार ने देश के सामरिक हितों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है। आज भारत को विश्व पटल पर एक मजबूत देश के रूप में माना जाता है। इस स्थिति को बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वार 1998 में किये गये परमाणु परीक्षण पोखरण II की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी गर्व के साथ इस ऐतिहासिक घड़ी को याद करती है। जिस दायित्वपूर्ण तथा साहसिक रूप से वाजपेयी जी की सरकार ने विश्व के बड़े देशों द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदी का सामना किया, उससे पाबंदी लगाने वाले देशों को इन प्रतिबंधों को भारत द्वारा भेदभावपरक आणविक अप्रसार बाध्यताओं के समक्ष झुके बिना ही हटाना पड़ा। अब संप्रग सरकार राजग द्वारा छोड़ी गई इस महान विरासत पर कर रही है।

न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (एन.एस.जी.) द्वारा मंजूर की गई रियायत से भारत के सामरिक हितों को और अधिक क्षति पहुंची है। प्रथमतः विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा अघोषित भावी परीक्षणों पर स्वैच्छिक रोक अब एन एस जी की वेवर (waiver) संबंधी शर्तों के तहत एक आवश्यक बाध्यता बन गई है। दूसरे, एन एस जी द्वारा भारत को अभी भी 'नान –न्यूक्लियर वेपन स्टेट' माना जाता है और इसलिए भारत को नान–न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के लिए निर्धारित आणविक अप्रसार संबंधी सभी प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करते हुए चलना होगा जिनमें परमाणु परीक्षण करना भी शामिल है। तीसरे, सुसंगत एन.एस.जी. दिशा निर्देशों के तहत किसी भी ईंधन वाले देश को भारत को हस्तांतरण करने के पूर्व सोचना पड़ेगा कि क्या सरकार के कार्य परमाणु अप्रसार के समर्थक हैं या नहीं। अतः सार रूप में, राष्ट्रीय हित में किए गये किसी भी भावी परीक्षण का किसी भी एन.एस.जी.सदस्य के साथ परमाणु व्यापार पर भारी प्रभाव पड़ेगा। इसमें सुरक्षा के गंभीर अर्थ भी निहित हैं। देश में क्रेडिबिल मिनिमम न्यूक्लियर डेटेरेंस विकसित (Credible minimum nuclear deterrence) करने का अधिकार खो दिया है।

जहां तक परमाणु ऊर्जा का संबंध है किसी को भी स्पष्ट नहीं है कि देश को यह किस कीमत पर मिलने वाली है। सरकार का अंदाजा है कि 2020–2025 तक ही इसका पूरा उत्पादन हो पाएगा। रिएक्टरों तथा परमाणु ईंधन के संस्थापन पर मोटे अनुमान के अनुसार 3 से 4 लाख करोड़ रूपये खर्च होंगे, और चूंकि हम एक शत्रुतापूर्ण परिवेश में जीते हैं, अतः अपनी सुरक्षा–अपेक्षाओं के अनुसार हमारे द्वारा किए गए किसी भी भावी परीक्षण से सभी न्यूक्लियर उर्जा, संबंधी सभी प्रबंधों पर रोक तथा समाप्ति प्रभावी हो जाएगी और खर्च किया गया धन बरबाद हो जाएगा। यह भी एक अतिरिक्त गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी और संप्रग सरकार अपने प्रचार से देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि इस करार से देश में उर्जा सुरक्षा होगी और बिजली मिलेगी। एक अनिश्चितता के वातावरण में 25 वर्षों के बाद बनने वाली संभावित महंगी बिजली को सरकार अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रही है। यह सीधा भ्रामक प्रचार है। देश की जनता जल्दी ही इस खोखले दावे की वास्तविकता को समझ जाएगी। आज जब देश में बिजली की स्थिति चिंताजनक है तब कुछ त्वरित सार्थक कदम उठाने की बजाए संप्रग सरकार का कहना है ''आणविक बिजली के लिए 25 साल इंतजार करिए''

भाजपा स्पष्ट करना चाहेगी कि समझौते के प्रति हमारा विरोध वामदलों के विरोध से मौलिक रूप से भिन्न हैं। हम अमरीका के साथ अच्छे तथा मित्रवत् संबंधों के पक्षधर हैं जिनमें सामरिक

भागीदारी भी शामिल है किन्तु वर्तमान परमाणु समझौता गैर बराबरी का है और यह हमारी संप्रभुता एवं सामरिक स्वायतत्ता को प्रभावित करता है। इसलिए हमको यह स्वीकार्य नहीं है।

जम्मू–कश्मीर मुद्दा

संप्रग सरकार की घोर उदासीनता तथा अकर्मण्यता ने जम्मू–कश्मीर में अलगाववादी राजनीति को भड़काने में मुख्य भूमिका निभाई है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा अति प्राचीन काल से की जा रही है। यह यात्रा चूंकि काफी कठिन है अतः एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर जम्मू–कश्मीर विधान सभा द्वारा पारित विधि के द्वारा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का गठन किया गया था। फिर, न्यायालय के आदेशों और राज्य सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा विधिवत् निर्णय के अनुसार श्राइन बोर्ड को यात्रा की अवधि के दौरान यात्रियों की सुविधाओं हेतु भूमि सुलभ कराई गई थी। यह बात देश की राजनीतिक तथा सांविधानिक सर्वानुमति के अनुरूप थी– उस सर्वानुमति के अनुरूप जिसके अनुसार हर आस्था के तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिये उचित प्रावधान होना चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान स्थित भारत विरोधी संगठनों से सहायता तथा प्रेरणा पाकर घाटी के अलगाववादियों ने वहां सोचा–समझा अभियान चलाया कि इस निर्णय से घाटी में जनसांख्यिक परिवर्तन हो जाएगा। दुर्भाग्यवश संप्रग सरकार ने अलगाववादियों के सामने घुटने टेक दिए। भाजपा श्री अमरनाथ संघर्ष समिति के नेतृत्व में उस असाधारण तथा व्यापक जन समर्थित आन्दोलन को नमन करना चाहेगी जिसने अंततः सरकार को अपने आदेश वापस लेने के लिए विवश कर दिया और श्राइन बोर्ड को सुलभ हुई भूमि पर भक्तजनों के लिए व्यवस्थाएं करने की अनुमति प्रदान की गई। यह अलगाववादी तथा राष्ट्रवादी के बीच का संघर्ष था। यह संतोष की बात है कि राष्ट्रवादी शक्तियां अलगाववादियों के समक्ष सरकार को झुकने के निर्णय को बदलवाने में सफल हुई।

जम्मू–कश्मीर से कई व्यापक मुद्दे और जुड़े हुए हैं। स्वाधीनता के पश्चात् कश्मीर भारत में पंथ–निरपेक्षता की अकेली सबसे बड़ी विफलता को निरूपित करता है। आज दुर्भाग्यवश, कश्मीर घाटी में एक मजहबी परिवेश बनाने का प्रयास किया गया है जिसकी जड़े सरहद के पार से भी प्रायोजित होती हैं। लगभग संपूर्ण हिन्दू जनसंख्या जिसमें कश्मीरी पंडित भी हैं को घाटी से बाहर निकाल दिया गया है। गैर–मुस्लिमों, जिनमें सिख भी शामिल हैं, के लिए वहां कोई जगह नहीं है। वहां पर मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया है तथा अमरनाथ के तीर्थ–यात्रियों के लिए जिन आधारभूत सुविधाओं को जुटाने का प्रयास हुआ था, उनका भी निर्लजतापूर्वक विरोध किया गया हैं। यदि भारत के किसी भी हिस्से में ऐसी घटना का अंशमात्र भी हुआ होता तो वे लोग न जाने कितना शोर–शराबा करते जो पंथ–निरपेक्षता का पाठ पढ़ाते रहते है। कश्मीर के बारे में नेहरूवादी सोच एक भयंकर भूल थी, जिसकी देश को भारी आर्थिक और सामाजिक कीमत चुकानी पड़ी रही है। अब देश को इस निर्णय की प्रतीक्षा है कि कश्मीर के बारे में कौन सही था – जवाहरलाल नेहरू या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब एक नई चितांजनक प्रवृत्ति उभर रही है। कुछ तथाकथित पंथ–निरपेक्ष लेखक और विचारक एक गलत सोच पर आधारित भ्रामक धारणा का समर्थन कर रहे हैं कि हमें कश्मीर का त्याग कर देना चाहिए। इस अवधारणा में मौलिक दोष है। 1947 में भारत का सिर्फ विभाजन ही नहीं अपितु विघटन हो जाता अगर ये धारणा प्रभावी हो जाती। कोई भी जीवंत राष्ट्र अपने भूभाग को इस प्रकार नहीं गंवाता है। यह 2008 का भारत है न कि 1947 का भारत। राष्ट्रों का निर्माण इतिहास की गलतियों को नजर अंदाज करके नहीं किया जाता है। जम्मू–कश्मीर भारत का अभिन्न भाग है और भाजपा की मांग है कि घाटी में अलगाववादी तत्त्वों, जिनमें सीमापार बैठे उनके आका भी शामिल हैं, के साथ

कठोरतापूर्वक ढंग से निपटा जाना चाहिए। भाजपा स्पष्ट रूप से घोषित करना चाहती है कि भारत के किसी भी भाग को देश से अलग नहीं होने दिया जाएगा।

सिमी तथा आतंक के विरूद्ध जंग

देश में आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार और सीमापार बैठे उनके आकांओं को वर्तमान यूपीए सरकार ने अनेकों बार संकेत दिया है कि वोट बैंक की खातिर आपके खिलाफ घोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। संप्रग सरकार के नरम रवैये के कारण गत चार वर्षों के दौरान भारत आतंकवाद का एक बड़ा गढ़ बनकर उभरा है। संप्रग के इस नरम रवैये का कड़वा सच लोगों के सामने आया, जब कुख्यात सिमी पर प्रतिबंध के मुद्दों पर कार्रवाई हो रही थी। सिमी एक ऐसा संगठन है जिसका हमारे संविधान में विश्वास नहीं है। सिमी का उद्देश्य है कि भारत में पंथ–निरपेक्षवाद, उदारवाद और लोकतंत्र के उच्च आदर्शों को ध्वस्त करके मुस्लिम खलीफाओं का शासन स्थापित किया जाए। जांचों ने यह भी बार–बार दर्शा दिया है कि आतंकवादी हमले करने के लिए कितनी व्यापक योजनाएं बनाई गई थी और उन्हें आतंकवादी ग्रुपों के उच्च प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किस प्रकार घातक विस्फोटक तकनीक अपनाते हुए सुनियोजित तथा अचूक रूप में अमल में लाया गया था।

इससे पहले, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा नीत राजग सरकार ने सिमी के विरूद्ध बढ़ते हुए साक्ष्यों के मद्दे नजर तत्काल कार्रवाई की थी और वर्ष 2001 में इसको गैर–कानूनी घोषित कर दिया था। संप्रग द्वारा सत्ता ग्रहण करने के पश्चात् न केवल पोटा को निरस्त किया, बल्कि 27.09.2005 को सिमी पर लगी रोक को इस तथ्य की जानकारी हो जाने के बाद भी समाप्त होने दिया कि सिमी अयोध्या में राम मंदिर पर हुए असफल हमले में और बाद में जुलाई और अक्तूबर, 2005 को दिल्ली में हुए हमलों में शामिल थी। वर्ष 2006 में संप्रग सरकार को सिमी पर दोबारा प्रतिबंध लगाने के लिए विवश होना पड़ा। इस तथ्य के बावजूद कि उक्त संगठन वाराणसी स्थित हनुमान मंदिर तथा 11.07.2006 को बंबई की उपनगरीय ट्रेनों में हुए व्यापक हमलों में लिप्त थी, जिसमें लगभग 200 निरपराध लोगों की जाने गई थी, और बाद में मालेगांव में हुए हमले में शामिल थी जिसमें 37 व्यक्तियों की जानें गई थी, देश का संवेदनहीन गृहमंत्रालय विधि–विरूद्ध कार्य निवारण अधिकरण (Unlawfull Activities Prevention Tribunal) के सामने पर्याप्त सबूत जुटाने में विफल रहा। जिसके चलते अधिकरण ने सिमी पर रोक को समाप्त कर दिया। यह वस्तुतः घोर निन्दनीय है कि संप्रग के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने सिमी का खुलेआम समर्थन किया है और निर्लजतापूर्वक सिमी को निर्मम आतंकी रिकार्ड के बावजूद एक 'सामाजिक संगठन' बताया है। यह बहुत ही दुखदायी है कि कांग्रेस और इसी तरह के अन्य दलों के नेतागण अहमदाबाद विस्फोट को अंजाम देने वाले के प्रति सहानूभूति और एकजुटता व्यक्त करने के लिए आजमगढ़ में उस गांव तक गए जहां से उसे गिरफ्तार किया गया था। इस दृश्य को देखना बड़ा दयनीय था जब बाद में भारत सरकार उच्चतम न्यायालय को बता रही थी कि सिमी देश में आतंकी हमलों का एक बड़ा स्रोत है (लगभग 100 से अधिक आतंकी हमलें)। और उसी सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण इस आतंकी संगठन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और असहाय प्रधानमंत्री उनको रोकने के लिए एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। यह भी बेहद निंदनीय है कि संप्रग सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की मांग की है। ऐसी अवमाननापूर्ण मांग उच्चतम न्यायालय द्वारा घुसपैठ को 'राष्ट्र के विरूद्ध बाहरी आक्रमण' बताए जाने की बात को नजरंदाज करते हुए की गई है।

भाजपा गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक की सरकारों की त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद देती है जो उनकी पुलिस ने उनके राज्यों में हुए आतंकी हमलों के प्रमुख षड्यंत्रकारियों और अंजाम देने वालों को पहचानने और पकड़ने में दिखलाई। इनसे भी सिमी के कुत्सित इरादों की जानकारी में और इजाफा होता है। सच तो यह है कि इन गिरफ्तारियों से देश के विभिन्न भागों में कई अन्य आतंकी हमलों के षड्यंत्र तथा योजना का खुलासा होने की संभावना है। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां कांग्रेस–शासित राज्य महाराष्ट्र में संगठित अपराध के विरूद्ध कठोर कानून मौजूद हैं वहीं केन्द्र सरकार ने गुजरात, मध्यप्रदेश और राजस्थान के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी प्रदान करने से इस तथ्य के बावजूद इन्कार कर दिया है कि उन राज्यों के विधिमान्य विधान मंडलों ने ऐसे कानून को पारित कर दिया है जिसकी आतंक के विरूद्ध लड़ाई में जरूरत है। ऐसा करके कांग्रेस पार्टी ने आंतक के विरूद्ध लड़ाई को वोट बैंक की राजनीति के सामने नीचा दिखा दिया है।

अफजल गुरू संसद पर हमले के प्रामाणिक दोषी होने के बावजूद जीवित है क्योंकि एक कमजोर यूपीए सरकार सुप्रीम कोर्ट के फांसी के निर्णय को लागू करने की हिम्मत नहीं रखती। कमजोर केन्द्र सरकार के ढुल–मुल रवैये के कारण पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी, आईएसआई प्रायोजित हूजी आतंकवादी बंगलादेश से और माओवादी गुरिल्ला आज भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता के कारण बने हुए हैं। आतंकवाद का ग्रहण जिसमें जिहादी इस्लामी, विभिन्न प्रकार के अलगाववादी और चरमपंथी अतिवामपंथी तत्व (नक्सलवाद) ने आज लगभग पूरे देश को ग्रषित कर रखा है और यूपीए सरकार ने देशवासियों को उनके भाग्य भरोसे छोड रखा है।

भाजपा मांग करती है कि सरकार को सिमी की सभी विध्वंसकारी गतिविधियों से संबंधित तथ्यों को न्यायालय के सामने रखते हुए सिमी के विरूद्ध रोक के मुद्दे की यथोचित रूप में पैरवी करनी चाहिए और अन्य सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए ताकि ये पूर्णसंकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ अमल में आ सकें। सरकार को जिहादी आतंकवाद जिसमें सिमी की गतिविधियां तथा हूजी, लश्करे तोयबा, जैयशे मौहम्मद, अलउमा, उल्फा एवं उत्तर पूर्व के अन्य अलगाववादी संगठनों की कारवाईयों के संबंध में एक विस्तृत श्वेत–पत्र भी जारी करना चाहिए। भाजपा यह भी मांग करती है कि आतंकवादी वित्त पोषण के और हथियारों की सप्लाई के सभी चैनलरूद्ध करने, देश के विभिन्न भागों में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैम्पों को नष्ट करने के लिए कठोर कार्रवाई की जाए, आतंकवादी संगठनों के ओवर ग्राउंड (Over Ground) समर्थकों तथा फ्रंट ऑर्गनाइजेशनों (Front Organisations) के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और घुसपैठ पर काबू पाने के लिए सीमाओं पर चौकसी मजबूत की जाए। भाजपा यह भी मांग करती है कि पाकिस्तान के ऊपर सख्त रूप में कठोर राजनयिक दबाव बनाया जाए कि भारत में आतंकवादी संगठनों को किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंगलादेश से आने वाले घुसपैठ के खिलाफ भी कठोर कारवाई करने की आवश्यकता है।

प्रायोजित धर्मान्तरण भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। कंधमाल एवं उडीसा के अन्य बगल के जिलों में, स्वामी लक्ष्मणानन्द सरस्वती की जघन्य हत्या के बाद, प्रायोजित एवं प्रलोभन कारी धर्मान्तरण करने वाले तत्वों ने इसे हिन्दू क्रिश्चियन संघर्ष के रूप में गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की। अब छोटे निर्दोष बच्चों को भी इस विवाद में जबरन घसीटने की कोशिश की जाती है जब देश के विभिन्न भागों में कुछ विद्यालयों का प्रबंधन स्वयं विद्यालय बंद कर देता है।

भ्रष्टतम तरीके से जुटाया गया बहुमत

वाम दलों द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के पश्चात् डा0 मनमोहन सिंह की सरकार से अपेक्षा की गई थी कि वह अपना बहुमत साबित करें। किन्तु यह बड़े ही शर्म की बात है कि बहुमत प्राप्त करने के लिए संप्रग तथा उसके नए मित्र बने दलों द्वारा सभी तरह के राजनीतिक तथा संसदीय औचित्य का बेखौफ उल्लंघन किया गया और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर बहुमत प्राप्त किया। राष्ट्र ने हमारे संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में तब सर्वाधिक विषादजनक नज़ारे का दर्शन किया जब संप्रग सरकार के समर्थन को विवश करने हेतु संसद सदस्यों को खरीदने के लिए शर्मनाक प्रयास किए गए। यह संतोष की बात है कि कुछ संसद सदस्यों ने इस अनैतिकता पर से पर्दा उठाने का साहस दिखाया और संप्रग सरकार के कुछ सुपरिचित समर्थकों के भ्रष्ट कृत्यों को बेनकाब कर दिया। अब एक संसदीय समिति भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार के एक निकृष्टतम मामले की जांच कर रही है और हम सभी आशा करते है कि दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इस मामले का दुखद पहलू यह है कि प्रधानमंत्री की राजनीतिक ईमानदारी पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस शर्मनाक घटना में संप्रग सरकार का पूरा राजनीतिक महकमा शामिल था। इतिहासकार इसे स्वतंत्र भारत की सबसे शर्मनाक राजनीतिक घटना के रूप में याद करेंगे।

एक असहाय तथा असुरक्षित भारत संप्रग सरकार की विरासत है।

यह स्वतः स्पष्ट है कि भारत की अर्थव्यवस्था के घोर कुप्रबंधन के कारण संप्रग शासन के अधीन आम आदमी सबसे अधिक दुखी है। भारत में गत 16 वर्षों के दौरान सबसे ऊंची मुद्रास्फीति का संकट छाया हुआ है। दो अंको की मुद्रास्फीति का डा0 मनमोहन सिंह के साथ निकट का संबंध है—चाहे वे इससे पहले नब्बे के दशक में वित्तमंत्री रहे हों अथवा गत लगभग साढ़े चार वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रहे हों। आम आदमी के साथ धोखा किया गया है, और लगातार बढ़ते मूल्यों ने आम आदमी के अस्तित्व पर ही ग्रहण लगा दिया है। उचित कार्ययोजना की तो बात ही छोड़िए, वर्तमान सरकार के पास मूल्यों को नियंत्रित करने की इच्छा तक नहीं बची है। वोट बैंक की अनिष्टकारी राजनीति ने आतंकवादियों और उनके आकाओं का औसत भारतीय के जीवन को और अधिक असुरक्षित बनाने के लिए हौसला बढ़ा दिया है। एक असुरक्षित कराहता हुआ भारत संप्रग की एकमात्र विरासत है।

भाजपा सभी भारतवासियों से अपील करती है कि समय आ गया है कि वे देश को संप्रग सरकार के कुशासन के अभिशाप से मुक्त करने और श्री लालकृष्ण आडवाणी के सुयोग्य नेतृत्व में राजग सरकार की वापसी सुनिश्चित करने में अपना भरपूर सहयोग दे।